

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

डॉ० श्यामल किशोर पाठक,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

ई-मेल
फैक्स

पटना-15, दिनाक-

विषय :- राजस्व कर्मचारी से राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार राजस्व सेवा (सशोधन) नियमावली 2015 में राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के 25 प्रतिशत पदों पर स्नातक एवं स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारी सर्वग से राज्य स्तर पर गठित उनकी वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में विभागीय पत्राक-233(4)/रा0, दिनाक-10.06.2019 द्वारा स्नातक एवं स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों की (कुल-1360) की अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया।

अतः बिहार राजस्व सेवा सशोधन नियमावली, 2015 के आलोक में राजस्व कर्मचारी से राजस्व अधिकारी के रूप में प्रोन्नति देने हेतु विभागीय पत्राक-233(4)/रा0, दिनाक-10.06.2019 द्वारा प्रकाशित स्नातक एवं स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों के अंतिम वरीयता सूची के क्रम स0-852 तक के राजस्व कर्मचारी से संबंधित विवरणी तथा संबंधित राजस्व कर्मचारी, जिनकी सेवा सम्पुष्ट नहीं हुई है, उसपर यथोचित कार्रवाई करते हुए विहित प्रपत्र में वाञ्छित सूचना अंकित कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(डॉ० श्यामल किशोर पाठक),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-3/स्था0रा0अ0 (प्रोन्नति)-09/19-

प्रतिलिपि - सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

305

(3)/रा0,

पटना-15,

दिनाक-

22-08-2019

(डॉ० श्यामल किशोर पाठक),

सरकार के अपर सचिव।

